



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2022—चैत्र 23, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच (22).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (42), दिनांक 05 अगस्त 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,—

- क अनुसूची I में —2.5% क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II में —6% क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा; यथा:—

“176 ख	6815	फलाई ऐश की ईटे या फलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटे
176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईटे
176 ङ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले ”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (22), दिनांक 13 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 13th April 2022

No. F A-3-33-2017-1-V(22) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following further amendments in this Department's notification No F A 3-33-2017-1-V(42), Dated 29th June 2017, namely :-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I- 2.5%, Serial numbers 225B, 226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule II- 6%, after Serial number 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles "

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2022

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.